

All fields are Mandatory

प्रारूप-1

(नियम-4(1) देखिये)

अनुज्ञा और आवंटन के लिए आवेदन

प्रेषिती,

प्राधिकृत अधिकारी

Jai Prakash Singh

Phool Chand Singh

Jaipur

फोटो

विषय:- गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा आवंटन के लिए आवेदन

श्रीमान्

मैं/हम, गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं:-

1.	आवेदक के ब्यौरे
(क)	नाम Jai Prakash Singh
(ख)	पिता/पति का नाम Jai ass
	पूरा पता 23,jhdaf,Jaipur
2.	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया
(क)	ग्राम और तहसील का नाम 232,SitaNagar,Jaipur
(ख)	खसरा सं. और क्षेत्र 232323232,Jaipur
3.	आवेदन के साथ संलग्नक
(क)	सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत/स्टाम्पित मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति, यदि आवेदन अन्य-व्यक्तियों की ओर से फाईल किया जाता है। <input checked="" type="checkbox"/>
(ख)	रजिस्ट्रीकरण की प्रमाणित प्रति (फर्म/संस्था/कम्पनी के आवेदन होने की दशा में) <input checked="" type="checkbox"/>
(ग)	संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (कम्पनी के आवेदक होने की दशा में) <input checked="" type="checkbox"/>
(घ)	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)। <input checked="" type="checkbox"/>
(ड.)	जहाँ कहीं अपेक्षित हो, भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति। <input type="checkbox"/>
(च)	स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जैसे विक्रय विलेख इत्यादि ओर <input type="checkbox"/>

आवेदित भूमि के ब्यौरे।

- (छ) प्ररूप-2 में नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित शपथपत्र ।
- (ज) प्ररूप-3 में नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र जमाबंदी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)।
- (ञ) अभिन्यास योजना और मास्टर योजना, सेक्टर योजना (यदि कोई हो) पर खसरा अध्यारोपण।
- (ट) खसरा मानचित्र का अनुरेख
- (ठ) अभिन्यास योजना (एकल पट्टे की दशा में स्थल योजना)
- (ड) की-प्लान
- (ढ) सर्वेक्षण नक्शा
- (ण) प्ररूप-4 में क्षेत्र संगणना के ब्यौरे।
- (त) खातेदार/आवेदक की पहचान का सबूत।

प्रयोजन जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जायेगा।

SomeThing To be Wriiten

क्या भूखण्ड सीमा में कोई एचटी/एलटी लाईन या ट्रान्सफार्मर है।

- Yes No

क्या आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है।

- Yes No

क्या आवेदित भूमि के संबंध में नगर भूमि (अधिकतर सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्यवाहियां लम्बित है।

- Yes No

क्या भूमि अधिशेष घोषित की गयी है या जिसके लिए राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 या राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 के निरसित अध्याय 3 ख के अधीन कार्यवाहियां लम्बित है।

- Yes No

क्या भूमि देवता, देवस्थान विभाग, कोई लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या किसी वक्फ से संबंधित है।

- Yes No

रेलवे लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सडक से दूरी

SomeThing

- (क) लम्बित न्यायालय मामल (यदि कोई हो)

- Yes No

- (ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे

Something

आवेदित भूमि की पहुँच सडक की चौडाई।

Something

मास्टर योजना/सेक्टर योजना/सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भूमि का क्षेत्र जो निःशुल्क अभ्यर्पित किया जाना है।

Something

(प्रारूप-4 के अनुसार) शुद्ध क्षेत्र जिसके लिए अभिन्यास योजना जारी की जानी है

Someth9ing

संदेय प्रीमियम प्रभारों की दर

Something

चालान की सं. और तारीख और नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन संदाय करने के लिए रकम
(चालान की प्रति संलग्न की जाये)

चालान की सं. 343254254

चालान की तारीख 15/04/2015

कोई अन्य सुसंगत सूचना

Something

दस्तावेजों की कुल संख्या पृष्ठों की कुल संख्या

122

मद सं.3 और 16 में वर्णित संलग्नकों के साथ आवेदन की साफ्ट कॉपी

Yes No

आवेदन की तारीख

22/04/2015

घोषणा

1. मैं/हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टतां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
2. यह घोषणा की जाती है कि शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ आवेदन **Jai** प्रयोजन (गैर कृषि उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत है। मैं/हम उक्त गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के लिए मेरे/हमारे अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करने का/के इच्छुक हूँ/हैं। अतः मुझे/हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान करें।
3. इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि जिसके लिए गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा चाही गयी है, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक का पता

Jai Prakash Singh

सम्पर्क संख्याक

Jaipur

और ई-मेल पता

Jaisingh@gmail.com

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

प्राप्ति

आवेदक **Jiap Prakash** ने दिनांक 16/04/2015 को आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 16/04/2015 को

रजिस्टर में सं 23232 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है मामला लागू नियमों के अनुसार प्रक्रियागत और निपटाया जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेजों संबंधी जानकारी, यदि कोई हो, 15 दिन के भीतर या तो दूरभाष पर सूचित की जायेगी या स्थानीय प्राधिकारी की वेब-साईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप-2
(नियम-4(1) देखिये)
शपथ-पत्र


मैं/हम श्री **Jai Prakashu sinf**

पुत्र श्री **Pholl**

आयु **12** निवासी **Jaipur**

ग्राम **12,hajdfh,Jaipur**

तहसील **Jiapur** जिला **Jaipur**



मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

1. कि मैं/हम निम्नानुसार रूप में वर्णित भूमि का/के खातेदार हूँ/हैं और आवेदन प्रारूप में गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग की अनुज्ञा देने के लिए आवेदित ऐसी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है और भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरे (ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र
1	121212	Jaipur

2. कि मैं/हम, सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार और आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए अभिधृति अधिकारों का निर्वापित करवाने का/के इच्छुक हूँ/है।
3. कि मैं/हम, इसके द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्य और रकम का संदाय करने के लिए पाबंद रहूँगा/रहेंगे।
4. कि भूखण्ड/भूमि या भवन का कोई विक्रय, स्थानीय प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदित भूमि की अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पूर्व नहीं किया जायेगा।
5. कि आवेदकों द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निदेशों और आदेशों का पालन किया जायेगा।
6. कि आवेदित भूमि केवल दी गयी अनुज्ञा के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार विकसित की जायेगी।
7. कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणित है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
8. कि मैं/हम, इसके द्वारा सुसंगत भवन उप-विधियों, विनियमों, स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नियमों के

उपबन्धों का अनुसरण और पालना करूँगा/करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

मेरे द्वारा पहचान किया गया:

अभिसाक्षी

प्रारूप-3
(नियम-4(1) देखिये)
क्षतिपूर्ति बंधपत्र


मैं/हम श्री **Jaip Prakash singh**

पुत्र श्री **Pholl dafbd Sinfjd**

आयु **23** निवासी **jipuar**

ग्राम **jshjg**

तहसील **Jaipur** जिला **121**



मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

1. कि मैं/हम इसके नीचे वर्णित भूमि, जिसके लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए अनुज्ञा/संपरिवर्तित भूमि के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के खातेदार हूँ/हैं।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरे (ग्राम और खसरा सं.)	क्षेत्र
1	hdhf	234232

2. कि मैं/हम, मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मंजूर अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिए पाबंद करता हूँ/हैं।
3. कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन के कारण मामले में पैदा हुए किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप से कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए स्थानीय प्राधिकारी क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं को पाबंद करता हूँ/हैं।

4. कि स्थानीय प्राधिकारी को आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की स्कीम को निरस्त करने और अनुज्ञा को प्रत्याहृत करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

<p>प्रारूप-4 (नियम-4(1) देखिये) क्षेत्र संगणना रूपविधान</p>
--

क. एकल पट्टा मामले

(क) कुल भूखण्ड क्षेत्र की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है-

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	कुल क्षेत्र	21121	22
2.	सेक्टर सडक/मास्टर योजना सडक/राजमार्ग इत्यादि के अधीन क्षेत्र (आवेदक से अभ्यर्ण विलेख लिया जायेगा।	2323232	22
3.	सेक्टर/मास्टर योजना का पांच प्रतिशत की दर से सुविधा क्षेत्र (यदि लागू हो) (आवेदक से अभ्यर्ण विलेख लिया जायेगा)।	23232	55
	शुद्ध भूखण्ड क्षेत्र (1+2+3)	3434343434	55

ख. स्कीम भूखण्ड क्षेत्र के ब्यौरे

(ख) कुल भूखण्ड क्षेत्र की संगणना के ब्यौरे संलग्न पन्नों के अनुसार है-

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	क्षेत्र	प्रतिशत
1.	आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक/फार्म हाउस/रिसोर्ट या कोई अन्य विशेष टाउनशिप भूखण्ड क्षेत्र	354343	55
2.	वाणिज्यिक क्षेत्र (अनौपचारिक सेक्टर)	434343	3
3.	वाणिज्यिक क्षेत्र सामान्य	434343	65
4.	सेक्टर सडकों को सम्मिलित करते हुए सडक के अधीन क्षेत्र	343434	4
5.	पार्क/खुले स्थान/रोपण गलियारा	43434343434	5
6.	सुविधा के लिए आरक्षित क्षेत्र	3434343	5

ग. स्कीम के लिए भूखण्डों के ब्यौरे

क्र.सं.	ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्र वर्गमीटर में	क्षेत्र वर्गगज में
1	343	434	453543545	4354545454

आवेदक के हस्ताक्षर